अनुदान संख्या 56 – आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय
GRANT No. 56 - MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	6406,00,00	9256,01,00	9201,91,37	-54,09,63
पूरक	Supplementary	2850,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat – General Services		1214.00	1059.13	-154.87
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	148386.00			
पू.	S.	40000.00	188321.00	185736.74	-2584.26
पु.	R.	-65.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	49296.00			
पू.	S.	2001.00	1970.08	..	-1970.08
पु.	R.	-49326.92			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुवाद	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	436699.00			
पू.	S.	243000.00	728618.18	728042.40	-575.78
पु.	R.	48919.18			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	3051.00	3445.20	3348.89	-96.31
पु.	R.	394.20			

(I) ₹51297.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹2001.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत चार मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:–

(I) Provision of ₹51297.00 lakhs (including supplementary grant of ₹2001.00 lakhs obtained in December, 2017 and March, 2018) remained wholly unutilised in four cases under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "शहरी आवास – अन्य अनुदान – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹34225.00 लाख; (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(A) "Urban Housing - Other Grants - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - ₹34225.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(खा) "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं – शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)" – ₹5742.00 लाख (₹2000.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(B) "Other General Economic Services - Urban Oriented Employment Programme - National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - ₹5742.00 lakhs (including supplementary grant of ₹2000.00 lakhs);

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹10239.00 लाख; और

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - ₹10239.00 lakhs; and

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹1091.00 लाख।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – आवास और शहरी गरीबी निवारण" – ₹154.87 लाख की बचत (₹1214.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और स्थापना संबंधित व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2216" – "शहरी आवास" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "निदेशन और प्रशासन – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹457.66 लाख की बचत (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना संबंधित व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) "सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता – प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹2122.11 लाख की बचत (मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹40000.00 लाख के अनुदान सहित ₹187081.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹99.49 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 99 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹37302.60 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय

(D) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - ₹1091.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Housing and Urban Poverty Alleviation" - saving of ₹154.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1214.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards establishment related expenses.

(III) Under Major Head "2216" - "Urban Housing"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - saving of ₹457.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment related expenses.

(B) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - saving of ₹2122.11 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹187081.00 lakhs including supplementary grant of ₹40000.00 lakhs obtained in March, 2018) was due to receipt of less demand from the implementing agencies.

(IV) Under one head saving of ₹99.49 lakhs occurred constituting 99 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹37302.60 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹2001.00 lakhs in

सहायता/शेयर" के अंतर्गत, निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹2001.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹31925.81 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹31354.97 लाख था।

(खा) "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" – ₹5376.79 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹5374.43 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं।

(का) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) – ₹261.58 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2018 में प्राप्त किए ₹4951.86 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹12729.86 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "शहरी आवास – अन्य अनुदान" – ₹10237.99 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹20000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹144616.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – शहरी आवास – अन्य अनुदान" – ₹1089.95 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹10000.00 लाख के

December, 2017 and March, 2018 under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share" - under the following heads:-

(A) "Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - ₹31925.81 lakhs. Actual excess, however, was ₹31354.97 lakhs.

(B) "National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - ₹5376.79 lakhs. Actual excess, however, was ₹5374.43 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - excess of ₹261.58 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12729.86 lakhs including supplementary grant of ₹4951.86 lakhs obtained in March, 2018) was due to requirement of additional funds towards ongoing projects by the State Governments.

(ii) "Urban Housing - Other Grants" - excess of ₹10237.99 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹144616.00 lakhs including supplementary grant of ₹20000.00 lakhs obtained in March, 2018); and

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Urban Housing - Other Grants" - excess of ₹1089.95 lakhs (against the total sanctioned provision of

पूरक अनुदान सहित ₹23343.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम – जनजातीय क्षेत्र उपयोजना – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹396.80 लाख का अधिक व्यय (₹66.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

₹23343.00 lakhs including supplementary grant of ₹10000.00 lakhs obtained in March, 2018).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - excess of ₹396.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹66.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards ongoing projects by the Union Territory Governments.